उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 25 वीं बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 25 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.10.2020 को बोर्ड मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरादेवी पर्यावरण भवन, में श्री आनन्द बर्द्धन, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्नानुसार मा0 सदस्य/विशेष आमंत्री उपस्थित रहे :-

1. श्री एस0 पी0 सुबुद्धि, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. श्री एस0 ए0 मुरूगेशन, प्रबन्धक निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
3. श्री अजीत कुमार कर्नाट्क, कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
4. श्री भूपेश तिवारी, अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. डा0 आनन्द श्रीवास्तव, अपर सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. श्री रकमपाल सिंह, महाप्रबन्धक, पेयजल निगम, देहरादून।
7. श्री पीयूष गर्ग, तकनीकि इंजीनियर, सिडकुल, देहरादून।
8. श्री भुपेन्द्र काण्डपाल, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

बैठक में विडियो क्रान्फ्रेसिंग के माध्यम से निम्नानुसार मा0 सदस्यों/विशेष आमंत्री द्वारा प्रतिभाग किया गयाः-

9. श्री अशोक बंसल, अध्यक्ष कुमांऊ गढ़वाल चेम्बर आफ कामर्स।
10. श्रीमती नेहा वर्मा, संयुक्त निदेशक, निदेशालय, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
11. संयुक्त सचिव, एम0डी0डी0ए0, देहरादून।
12. प्रो0बी0आर0 गुर्जर, आई0आई0टी0, रूड़की।
13. नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर, के प्रतिनिधि।
14. नगर आयुक्त, नगर निगम, कोटद्वार, के प्रतिनिधि।
15. क्षेत्रीय अधिकारी, देहरादून/काशीपुर/रूड़की/हल्द्वानी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बोर्ड अध्यक्ष एवं सभी बोर्ड सदस्यों का स्वागत करते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कार्य सूची के बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मत से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

कार्य सूची सं0 25.1	**बोर्ड की 24वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन एवं उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से बोर्ड सदस्यों को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।**	24 वीं बैठक के कार्यवृत्त का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं मा0 सदस्य सभी बिन्दुओं पर किये जा रहे अनुपालन के सम्बन्ध में अवगत हुए।
कार्य सूची सं0 25.2	**गैर औद्योगिक संस्थानों** (Non Industrial Operations as defined by CPCB) **जैसे कि रेलवे स्टेशन, डेरी/गोशाला, एयरपोर्ट एण्ड कार्मिशियल स्ट्रीप, बिल्डिंग एण्ड कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट, स्क्रैपिंग सेंटर, बोर्डिंग स्कूल व अन्य शैक्षणिक संस्थान/हास्टल/ पी0जी0/गेस्ट हाउस इत्यादि को बोर्ड के कन्सेन्ट मेनेजमेन्ट के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुये**	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 30.04. 2020 को जारी Non Industrial Operations को बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया। उक्त सूची में अंकित समस्त प्रक्रियाओं हेतु सहमति शुल्क निर्धारण करने हेतु सदस्य सचिव की अध्यक्षता में एक उपसमिति बनाये जाने का निर्णय लिया गया एवं यह निर्देश दिया गया कि उपसमिति द्वारा समस्त प्रक्रियाओं हेतु युक्तियुक्त प्रस्ताव बनाकर अध्यक्ष बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें।

	स्थापनार्थ सहमति/संचालनार्थ सहमति शुल्क निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	
कार्य सूची सं0 25.3	उत्तराखण्ड राज्य में इन्डक्शन फर्नेश उद्योगों में स्थापित वर्तमान वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को उच्चीकृत वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था से प्रतिस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। उत्तराखण्ड राज्य में स्थित समस्त इण्डक्शन फर्नेश उद्योगों में Moveable Hood के स्थान पर Side draft hood में अनिवार्य रूप से परिवर्तित करने हेतु उद्योगों को 31.03.2022 तक का समय दिये जाने का निर्णय लिया गया।
कार्य सूची सं0 25.4	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को विभिन्न कार्यो में उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति दी गयी। निर्णय लिया गया कि इस हेतु सुसंगत नियमावली बनाया जाये। नियमावली बनाने हेतु सदस्य सचिव की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठन किये जाने का भी निर्णय लिया गया। उपसमिति में वित्त नियंत्रक एवं मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशा0) को सदस्य के रूप में नामित किया गया। समिति द्वारा नियमावली बनाकर अध्यक्ष बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।
कार्य सूची सं0 25.5	बोर्ड द्वारा हरिद्वार में स्थित विद्युत शवदाह गृह के पुनः निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन निम्न शर्तो के साथ किया गयाः- 1. विद्युत शवदाह गृह को कम से कम 05 वर्ष के लिए नगर निगम, हरिद्वार द्वारा अपने संसाधनों से संचालन करनी होगी। बोर्ड द्वारा नगर निगम को धनराशि उपलब्ध कराने से पूर्व इस प्रकार का प्रमाण पत्र नगर निगम से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। 2. यदि विद्युत शवदाह गृह हेतु नगर निगम को किसी अन्य मद से अनुदान मिलता है तो उतनी धनराशि बोर्ड द्वारा दिये जाने वाली धनराशि से कम कर ली जायेगी। 3. बोर्ड व नगर निगम के मध्य अनुबंध किया जायेगा, जिसमें उक्त बिन्दुओं का समावेश किया जायेगा।

कार्य सूची सं0 25.6	**No increase in pollution load के सम्बन्ध में गठित समिति के समक्ष प्राप्त होने वाले प्रस्ताव हेतु शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।**	बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं निम्नानुसार प्रोसेसिंग फीस के रूप में शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गयाः- 1. परियोजना लागत 100 करोड़ से अधिक होने पर — रू0 100,000/- 2 परियोजना लागत 50-100 करोड़ तक — रू0 50,000/- 3 परियोजना लागत 50करोड़ से कम होने पर — रू0 25,000/-
कार्य सूची सं0 25.7	**उत्तराखण्ड में उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम द्वारा स्थापित/संचालित जल विद्युत परियोजनाओं हेतु सहमति शुल्क में शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**	बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड में उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम द्वारा स्थापित/संचालित जल विद्युत परियोजनाओं हेतु वर्ष 2020-21 तक का स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति शुल्क में शतप्रतिशत छूट दिया जायेगा।
कार्य सूची सं0 25.8	**देवप्रयाग टिहरी में घरेलू उत्प्रवाह एकत्रण करने हेतु शहरी विकास विभाग द्वारा प्रेषित वित्तीय सहायता का प्रस्ताव के सम्बन्ध में।**	शहरी विकास निदेशालय का प्रस्ताव का अनुमोदन कर उन्हें एक सैप्टिक वाहन के खरीद हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित संस्थान द्वारा, बोर्ड स्तर से उपलब्ध कराये जाने वाली धनराशि से क्रय किये जाने वाले वाहन का समुचित संचालन किया जाये व इस हेतु रिर्काड का अनुश्रवण भी किया जाये।
कार्य सूची सं0 25.9	**उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सेवानिवृत्त अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र को सलाहकार/परामर्शी के रूप में आबद्ध किये जाने हेतु प्रस्ताव।**	वर्तमान में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।
कार्य सूची सं0 25.10	**उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के सम्बन्ध में।**	बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि वार्षिक रिपोर्ट में सम्बन्धित वर्ष की आडिटेड बैंलेस शीट, अडिटर द्वारा दिए गए कमेन्ट व कमेन्ट पर अनुपालन की स्थिति को समाविष्ट करते हुए वार्षिक रिपोर्ट को प्रकाशित की जाये।

अन्त में सभी मा0 सदस्यों के धन्यावाद के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

(एस0 पी0 सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

(आनन्द बर्द्धन)
अध्यक्ष

HEAD OFFICE

UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD Gauradevi Parayavaran Bhawan 46-B, SIDCUL, IT Park, Sahashtradhara Road DEHRADUN (Uttarakhand)	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गौरादेवी पर्यावरण भवन 46–बी, सिडकुल, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून(उत्तराखण्ड)

Web: www.ueppcb.uk.gov.in

यूईपीपीसीबी/एच.ओ./ सा0–06(बो0बै025)/2020/ दिनांक .10.2020

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डा0 आनन्द श्रीवास्तव, अपर सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. श्री भुपेन्द्र काण्डपाल, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
3. श्री भूपेश तिवारी, अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. श्री अजीत कुमार कर्नाटक, कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
5. श्री रकमपाल सिंह, महाप्रबन्धक, पेयजल निगम, देहरादून।
6. श्री पीयूष गर्ग, तकनीकि इंजीनियर, सिडकुल, देहरादून।
7. श्री एस0 ए0 मुरूगेशन, प्रबन्धक निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
8. श्री अशोक बंसल, अध्यक्ष कुमांऊ गढ़वाल चेम्बर आफ कामर्स, काशीपुर।
9. श्रीमती नेहा वर्मा, संयुक्त निदेशक, निदेशालय, पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, देहरादून।
10. संयुक्त सचिव, एम0डी0डी0ए0, देहरादून।
11. प्रो0बी0आर0 गुर्जर, आई0आई0टी0, रूड़की।
12. नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर।
13. नगर आयुक्त, नगर निगम, कोटद्वार।

सदस्य सचिव